



भामाशाह योजना

एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, क्योंकि नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी वितरण हेतु भामाशाह योजना लागू की गई है।

क्या मिलता है ?

- पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा योजना जैसी सभी योजनाओं की सहायता/राशि बिना किसी विलम्ब के सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
- राशन सामग्री परिवार के मुखिया या सदस्य के अलावा कोई और नहीं ले सकता है। यदि POS मशीन पर परिवार के सदस्य की बायोमैट्रिक पहचान नहीं हो सके तो भामाशाह नामांकन में अंकित मोबाइल पर OTP की सुविधा प्रदान की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्र जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां लाभार्थी घर के आस-पास बैंकिंग संवादकर्ता/अटल सेवा केन्द्र/ ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध माइक्रो एटीएम मशीन से बैंक द्वारा जारी किए गए एक्टिव रूपे कार्ड/एटीएम कार्ड से रुपये निकाल सकते हैं। यदि लाभार्थी के खाते में आधार संख्या दर्ज है तो माइक्रो एटीएम पर अंगूठा निशानी से भी रुपये निकाल सकते हैं।
- किसी भी योजना की सहायता/राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही दी जाती है।
- प्राप्त होने वाली सहायता/राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाइल पर दी जाती है।
- भामाशाह कार्ड परिवार के पहचान एवं निवास (पता) के दस्तावेज के रूप में मान्य।
- भामाशाह कार्ड जारी होने पर बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्योदय/अन्नपूर्णा परिवार को एक मुश्त 2000 रुपये की सहायता मिलती है।

कब मिलता है ?

- सभी सरकारी योजनाओं की सहायता/राशि घर के नजदीक शीघ्र प्राप्त करने हेतु परिवार के सभी सदस्यों का भामाशाह नामांकन करवाना होता है, जो कि निम्न स्थानों पर फ्री में होता है-
 - ✓ भामाशाह नामांकन/सीडिंग शिविरों में
 - ✓ घर के नजदीक ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर
 - ✓ विभागीय वेबसाइट www.bhamashah.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन स्वयं भी कर सकते हैं।
- भामाशाह नामांकन करवाते समय सरकारी योजनाओं जिनसे सहायता/राशि प्राप्त होती है, की जानकारी जैसे:-पेंशन धारक को पीपीओ नम्बर, नरेगा भुगतान हेतु नरेगा जॉब कार्ड, राशन हेतु राशन कार्ड संख्या, बीपीएल सुविधा हेतु बीपीएल कार्ड नम्बर इत्यादि जुड़वाने होते हैं।

भामाशाह नामांकन कौन करवा सकता है ?

- राज्य का प्रत्येक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता है।
- इसके लिए परिवार को 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है। यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो पुरुष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति मुखिया होगा।

नामांकन हेतु क्या लाना है ?

- परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग फोटो
- परिवार के मुखिया के कोर बैंक समर्थ बैंक खाते की प्रति
- परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार संख्या/आधार नामांकन रसीद की प्रति
- ऐसे सभी दस्तावेज जो भामाशाह नामांकन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से सम्बन्धित हैं जैसे-
 1. बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की प्रति,
 2. मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की प्रति,
 3. मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की प्रति
 4. परिवार के सदस्यों की बैंक पास बुक, आधार संख्या/आधार नामांकन रसीद की प्रति
 5. किसी भी राजकीय योजना जिससे परिवार लाभान्वित हो रहा है/होगा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति

भामाशाह कार्ड :

- नामांकन उपरान्त नामांकन हेतु दी गई सूचनाओं की जांच की जाती है, जिसमें लगभग 2-3 माह का समय लगता है।
- कार्ड छपने के बाद ब्लॉक अटल सेवा केन्द्र/शहरी निकाय को वितरण हेतु प्रेषित किए जाते हैं जिन्हें सम्बन्धित ग्राम सेवक/पटवारी/शहरी वार्ड निरीक्षक/स्थानीय ई-मित्र इत्यादि के माध्यम से बंटवाया जाता है।
- भामाशाह कार्ड मुद्रण होने पर नामांकित द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर मैसेज भेजा जाता है।
- परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन नहीं करवाने पर कार्ड छपने में अधिक समय लगता है।

भामाशाह नामांकन में संशोधन कैसे होता है ?

- आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक ई-मित्र को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है।
- भामाशाह नामांकन/नामांकन में संशोधन अथवा अद्यतन एक निरन्तर प्रक्रिया है।
- कोई भी नागरिक घर के नजदीक ई-मित्र पर भामाशाह नामांकन/नामांकन में संशोधन अथवा अद्यतन करवा सकता है।

योजना क्रियान्वयन अधिकारी

जिला स्तर पर	:	जिला कलक्टर, अति. जिला कलक्टर, उप-निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, एसीपी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
ब्लॉक स्तर पर	:	उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, प्रोग्रामर
ग्राम पंचायत स्तर पर	:	ग्राम सेवक, पटवारी

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127

www.bhamashah.rajasthan.gov.in

भामाशाह योजना के लिए नामांकन-प्रपत्र का प्रारूप

भामाशाह नामांकन प्रपत्र

परिवार के मुखियाओं के नाम..... (पत्नी)..... (पति)परिवार की श्रेणी : एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/सामान्य जाति :
 भूधारक श्रेणी:लघु किसान/सीमान्त किसान/अन्य किसान/भूमिहीन भूमि का प्रकार : सिंचित/असिंचित क्या परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से है ? (हां/ना).....
 आवासीय पता : राज्य राजस्थान जिला..... तहसील..... ग्राम पंचायत/शहर..... पिन कोड.....
 वार्ड सं..... गली..... अपार्टमेंट..... मकान सं..... ग्राम/मगरा/बणी/कालोनी/.....
 दूरभाष सं.(लैण्ड लाईन)..... मोबाईल नं..... ई-मेल.....
 परिवार बैंक खाता संख्या..... बैंक का नाम..... शाखा का नाम.....
 मकान श्रेणी : स्वतंत्र मकान/बंगला/अपार्टमेंट/मकान रहित मकान की स्थिति : पक्का/अर्द्ध पक्का/कच्चा/झोपड़ी वर्तमान पते पर निवास की अवधि..... वर्ष

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	पति/पत्नी का नाम	लिंग	जन्म तिथि/ आयु (dd/mm/yy)	परिवार के मुखिया से संबंध	वैवाहिक स्थिति	शिक्षा का स्तर	व्यवसाय	विशेष योग्यजन	वार्षिक आय (रु)	बैंक खाता संख्या	बैंक शाखा का नाम	निवासी श्रेणी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.							स्वयं									
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
कॉलम सं.6 -	लिंग	: 1-पुरुष 2-स्त्री 3-विपरीत लिंग (ट्रान्सजेंडर)														
कॉलम सं.8 -	मुखिया से संबंध	: 1-स्वयं 2-पत्नी/पति 3-पुत्र/पुत्री 4-दामाद/पुत्रवधु 5-पौत्र/पौत्री 6-पिता/माता 7-ससुर/सास 8-पदपौत्र/पौत्री 9-अन्य														
कॉलम सं.9 -	वैवाहिक स्थिति	: 1-अविवाहित 2-विवाहित 3-विधवा/विधुर 4-तलाकशुदा 5-संबंध विच्छेद 6-परित्याग 7-अन्य														
कॉलम सं.10 -	शिक्षा का स्तर	: 1-निरक्षर 2-साक्षर 3-प्राथमिक 4-उच्च प्राथमिक 5-माध्यमिक 6-उच्च माध्यमिक 7-स्नातक 8-स्नातकोत्तर 9-अन्य														
कॉलम सं.11 -	व्यवसाय	: 1-राज्य कर्मी 2-केंद्रीय कर्मी 3-सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक कर्मी 4-निजी क्षेत्र कर्मी 5-स्वनियोजित 6-व्यवसायी 7-श्रमिक 8-कृषक 9-बेरोजगार 10-अन्य														
कॉलम सं.12 -	विशेष योग्यजन	: 1-अन्यता 2-बधिर 3-अपंगता 4-मानसिक 5-अन्य														
कॉलम सं.13 -	वार्षिक आय (रु)	: 1-5000 से कम 2- 5000 से 20000 3- 20000 से 50000 4- 50000 से 10 लाख 5- 10 लाख से 4.5 लाख 6- 4.5 लाख से 10 लाख 7- 10 लाख से 4.5 लाख 8- 4.5 लाख से 10 लाख 9- 10 लाख से 4.5 लाख 10- 10 लाख से 4.5 लाख 11- 10 लाख से 4.5 लाख 12- 10 लाख से 4.5 लाख 13- 10 लाख से 4.5 लाख 14- 10 लाख से 4.5 लाख 15- 10 लाख से 4.5 लाख 16- 10 लाख से 4.5 लाख 17- 10 लाख से 4.5 लाख 18- 10 लाख से 4.5 लाख 19- 10 लाख से 4.5 लाख 20- 10 लाख से 4.5 लाख														
कॉलम सं.16 -	निवासी श्रेणी	: 1-निवासी 2-अप्रवासी 3-अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)														

नोट:- 1. भामाशाह नामांकन हेतु महिला मुखिया का बैंक खाता, महिला मुखिया तथा एक अन्य सदस्य का आधार संख्या होना अनिवार्य है।
 2. भामाशाह नामांकन किसी भी ई-मित्र केंद्र पर निशुल्क करवाया जा सकता है, ऑन लाईन नामांकन भी www.bhamashah.raiaasthan.gov.in पर किया जा सकता है।
 3. आवेदन में अंकित सूचनाओं की पुष्टि हेतु सभी दस्तावेज अपलोड किये जाते हैं।

पहचान सत्यापन दस्तावेज

परिवार पहचान दस्तावेज-

राशनकार्ड का प्रकार : बीपीएल/स्टेट बीपीएल/एपीएल/अन्तोदय/काई नहीं

विद्युत खाता संख्या :

गैस कनेक्शन संख्या :

बीपीएल/स्टेट बीपीएल संख्या :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामांकन की URN संख्या(17 अंकीय).....

राशन कार्ड संख्या.....

जल आपूर्ति खाता संख्या.....

गैस एजेंसी का नाम : इण्डेन/एचपी/भारत गैस/अन्य

महात्मा गांधी नरेंगा कार्ड संख्या.....

व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज-

क्र.स.	नाम	आधार संख्या	मतदाता पहचान पत्र संख्या	पैन कार्ड संख्या	ड्राइविंग लाईसेंस संख्या	पासपोर्ट संख्या	एनपीआर रसीद संख्या	रोजगार पंजीयन क्रमांक	सरकारी कर्मचारियों की आईडी संख्या	सामाजिक सुरक्षा पेंशन अर्न्तगत PPO No.	मोबाईल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
4.											
5.											
6.											

सत्यापन का प्रकार : 1-दस्तावेज आधारित सत्यापन, 2- सत्यापक द्वारा क्षेत्र में जानकारी कर सत्यापन किया गया (कृपया सही का निशान लगायें)

दिनांक:.....

उपरोक्त उल्लेखित समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी अनुसार सही हैं, मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

प्रथम सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पद एवं मोहर)

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगुली निशानी